कहीं भी रहें मंत्री, पता रहता किस शिकायत पर क्या हुई कार्रवाई

मालूम हर आवेदन की पहचान

एसए शाद, पटना

कुछ दिनों पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र से मधेपुरा के एक जनप्रतिनिधि मिले और शिकायत की– 'मैंने मनरेगा की गड़बड़ी से संबंधित एक आवेदन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।' मंत्री ने शालीनता से उनसे आवेदन सौंपे जाने की तारीख पूछी। जनप्रतिनिधि को तारीख याद नहीं आई। मंत्री ने तब अपना टैब खोला और थोड़ी देर के सर्च के बाद ही उन्हें न केवल आवेदन देने की तारीख बता दी, बल्कि उसपर अबतक की गई कार्रवाई से भी उन्हें अवगत करा दिया। जनप्रतिनिधि चकित रह गए। ऐसे 6,478 आवेदन हैं जो पिछले चार सालों में मंत्री को मिले हैं, और हर एक आवेदन की पहचान से वे वाकिफ हैं।

मंत्री कोषांग को मिलने वाले हर आवेदन को एक खास साफ्टवेयर पर तुरंत अपलोड किया जाता है और इनकी पहचान एवं ट्रैकिंग के लिए इन्हें एक नंबर दिया जाता है। आवेदन देने वाले व्यक्ति को यह नंबर आगे की कार्रवाई से अवगत कराने के लिए फौरन एसएमएस के जरिए भेज दिया जाता है। मिश्र बताते हैं–'यह सिस्टम वेब बेस्ड है। इस कारण मैं दो वर्ष पुराना आवेदन भी तुरंत ट्रैक कर लेता हूं। मुझे फौरन इसके स्टेटस का पता चल जाता है। इसके चलते मानीटरिंग का काम बहुत आसान हो गया है।' भागलपुर के करहरिया गांव के संजीव कुमार सिंह ने 10 जुलाई, 2014 को मनरेगा में लूट मची रहने की शिकायत की है। 'एमओआरडी-आर्म' के मुताबिक, उनका आवेदन (रजिस्ट्रेशन नंबर-10006233) भागलपुर डीएम को भेज दिया गया है। डीएम की रिपोर्ट का इंतजार है। पूर्णिया के अकबरपुर निवासी सुधीर कुमार सिंह ने 05 फरवरी, 2014 को प्रखंड बनाए जाने के लिए आवेदन दिया। 07 फरवरी को उनका आवेदन विभाग के प्रधान सचिव के पास भेजा गया और 20 मार्च को इस मांग पर कार्रवाई कर उन्हें एसएमएस से सूचित कर दिया गया। कई आवेदन अन्य विभागों से संबंधित भी होते हैं, जिन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाता है। इनका भी ट्रैक रखा जा रहा है।

जन शिकायत का सबसे अहम पहलू यह है कि जनता को संतुष्ट होना चाहिए। इसी सोच को आधार बनाकर यह सिस्टम बनाया है। चार वर्षों में मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव है।

–नीतीश मिश्र, ग्रामीण विकास मंत्री।